झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 427/2019

राम उदार गोस्वामी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2 उपायुक्त, बोकारो कैम्प-II, बोकारो स्टील सिटी

3 अनुमंडल अधिकारी, चास

4 वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो

5 सेक्टर-12 के प्रभारी अधिकारी, बोकारो।

... उत्तरदातागण

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री रमा कांत तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जे. एफ. टोप्पो, अधिवक्ता

दिनांक 20 सितंबर, 2019

यह याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3486/2017 के पुनर्स्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे 24.04.2019 के अनिवार्य आदेश के आंशिक अनुपालन के कारण खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकांत तिवारी ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2019 को अनिवार्य आकस्मिक आदेश पारित किया गया है जिसके तहत त्रुटियों को समय के भीतर दूर कर दिया गया है, लेकिन जो त्रुटिअनुलग्नक-5 ए की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से संबंधित है जो इस न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी सं. 1232/1993 में पारित आदेश है और यह प्रमाणित प्रति नहीं है, बल्कि अपलोड की गई नेट प्रति है जो निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसे गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका को कथित त्रुटि की उपेक्षा करके मूल फाइल में पुन:स्थापित किया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी.

राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वत वकील ने इस तरह के प्रस्तुतीकरण और कथित याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वत वकील के रुख पर आपत्ति नहीं की है .

पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण और याचिका में दिए गए कारण पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में बहाल नहीं किया जाएगा, तो याचिका को अपूरणीय क्षति होगी.

इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3486/2017 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है, तदनुसार, तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

सौरभ